(72)

न्यायालयः- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1566-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.12.2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर, जिला श्योपुर - प्रकरण कमांक 64/2014-15 अपील

1-भैरू पुत्र धूडिया बैरवा
2-कैलाश पुत्र भैरू बैरवा
3-दिकुश पुत्र भैरू बैरवा
समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम बाजरली तह. बडौदा जिला श्योपुर म.प्र. --- आवेदकगण

बिरूद्ध

रामसियावाई पत्नी ओमप्रकाश जाति वैष्णव निवासी ग्राम बाजरली तह. बडौदा जिला श्योपुर म.प्र. --- अनावेदिका

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 10-6-2016 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 64/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है। कि ग्राम बाजरली तहसील बडोदा की भूमि सर्वे नम्बर 110 रकवा 3.14 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि पर आवेदक कमांक 1 सम्वत् 2039 के पूर्व से काबिज होकर अधिपत्यधारी हैं। जिसका इन्द्राज सम्वत् 2039 से 2053 तक आवेदक कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेख में रहा है एवं सम्वत् 2053 के बाद

आवेदक कमांक 1 का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के हटा दिया गया। सम्वत् 2063 में अनावेदिका द्वारा प्रकरण कमांक 26/05-06/अ-19 में दिनांक 21.08.2006 भूमि सर्वे कमांक 110/4छ रकवा 1.046 हैक्टर का पट्टा कराना बताया है। परन्तु उक्त पट्टा दायरा रजिस्टर में पंजीवद्ध नहीं है। आवेदक कमांक 1 द्वारा जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2015 को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, परन्तु प्रकरण जमा नहीं होने से टीप लगा कर आवेदन वापस कर दिया गया जब कि, अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 एवं धारा 32 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण कमांक 01/अ-70/14-15 पर दर्ज किया जा कर दिनांक 21.09.2015 से आवेदक कमांक 1 के बिरूद्ध आदेश पारित किया जा कर बैदखल करने के आदेश पारित किये गये, एवं मौखे पर सीमांकन कर कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसके बिरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। जिसका प्रकरण कमांक 64/अपील/14-15 पर दर्ज की जा कर, प्रकरण के चलते अनावेदिका द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अन्तरिम स्वरूप का है। अन्तिम स्वरूप का नहीं इस कारण अपील के स्थान पर निगरानी की जाना होगी, और निगरानी इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। आवेदकगण द्वारा उक्त आपत्ति का लिखित जबाव् प्रस्तुत किया जा कर जाबाव् में यह उल्लेख किया गया कि, संहिता की धारा 250 में जो प्रावधान बनाये गये हैं। उसमें न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदक को यह आदेश दिये जाते हैं कि, आवेदकगण को मौखे से बैदखल कर अनावेदिका को हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक सीमांकन कर मौखे पर कब्जा दिलायें। इस कारण कब्जा हटाने के आदेश जब किये जाते हैं। तो उक्त आदेश अन्तिम स्वरूप का माना जावेगा। उक्त आदेश के मुताबिक आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि

नहीं की है। इस कारण अपील में पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 से परिवेदति होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक पर तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम बाजरली तहसील बड़ौदा की भूमि सर्वे नम्बर 110 रकबा 3.14 हैक्टर पर आवेदकगण का सम्वत् 2039 के पूर्व से काबिज होकर अधिपत्यधारी है जिसका इन्द्राज सम्बत् 2039 से 2053 तक राजस्व अभिलेंख मे रहा है। सम्वत् 2053 के बाद आवेदक कमांक 1 का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हटा दिया गया है। सम्वत् 2063 में अनावेदिका द्वारा बिना किसी आवेदन पत्र के प्रकरण कमांक 26/2005–06/अ–19 पर पंजीवद्ध होना बताकर पट्टा होना बताया है। परन्तु प्रकरण दायरा पंजी में नही है परन्तु अनावेदिका शियाबाई के पति श्री ओमप्रकाश उसी ग्राम पंचायत में निर्वाचित सरपंच थे इस प्रकार पद का दुरूपयोग करते हुये फर्जी प्रविष्टि राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों से मिल कर कराई गई है। प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा इस्तहार का निर्वाह विधिवत् नहीं कराया कि, किस दिनांक को इस्तहार चस्पा किया गया व किस गवाह के सामने चस्पा किया कोई दिनांक व नाम अंकित नहीं है। तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न इस्तहार नहीं इस कारण प्रकरण में अवैध प्रविष्टि के आधार पर आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कें समक्ष संहिता की धारा 250 के अधीन कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं थी फिर भी आवेदकगण के बिरूद्ध अवैध प्रविष्टि के आधार पर पारित आदेश उचित नहीं माना जा सकता है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.12.2015 के अवलोकन पर यह भी पाया गया है। उन्होने अवैध प्रविष्टि के आधार पर आवेदक कमांक 1 के कब्जे को नहीं मानने में निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है। जबकि, अनावेदिका के पति ग्राम पंचायत में सरपंच होने का अनुचित लाभ उठाकर अपनी पत्नी

सियावाई के नाम अवैध प्रविष्टि अंकित कराई है। उक्त प्रविष्टि के आधार पर अनावेदिका के हित में उक्त प्रविष्टि को उचित नहीं माना जा सकता है। इस कारण प्रकरण कमांक 26/2005-06/अ-19 भूमि सर्वे कमांक 110/4छ रकवा 1.046 हैक्टर भूमि का पट्टा दायरा पंजी में पंजीवद्ध नहीं होने के कारण स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। इस कारण अनावेदिका के नाम की अवैध प्रविष्टि होने से उनका नाम राजस्व अभिलेख से नाम कम करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि पूर्वत् शासन हित में अंकित की जाती है। जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 64/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जा कर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.20015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त बडोदा जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 26/2005-06/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2006 निरस्त किया जा कर भूमि को पूर्वत् शासकीय घोषित किया जा कर पटवारी राजस्व अभिलेख में अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर